

दूदू कलेक्टर के ऑफिस से लेपटॉप व कई दस्तावेज जब्त किए ए.सी.बी.ने

दूदू जिला कलेक्टर व पटवारी द्वारा भू-रूपांतरण के बदले पच्चीस लाख रुपये की घूस मांगने का मामला

जयपुरा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ए.सी.बी) की टीम ने भू-रूपांतरण के बदले पच्चीस लाख रुपये की घूस मांगने के मामले में शनिवार को दूदू जिला कलेक्टर हनुमान मल ढाका के ऑफिस और तहसील से अहम सबूत जब्त किए हैं। वहीं इस बीच मामले में राज्य सरकार ने कलेक्टर ढाका को एपीओ कर दिया है।

एसीबी के एडीजी हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि मामले में आरोपी दूदू जिला कलेक्टर हनुमान मल ढाका के ऑफिस में सर्च कर कई स्टेटमेंट और दस्तावेज एसीबी की टीम ने जब्त किए हैं। शुक्रवार देर रात को मामले में कलेक्टर हनुमान मल ढाका और पटवारी हंसराज के सरकारी आवास और तहसील में तलाशी अभियान चलाया था। उन्होंने बताया कि केस का नेचर देखते हुए कलेक्टर के निजी आवास पर सर्च की कार्रवाई नहीं की गई। एसीबी की टीम में सबूतों की जांच और अनुसंधान में जुटी हुई है। सूत्रों के अनुसार एसीबी की टीम

- राज्य सरकार ने कलेक्टर ढाका को शनिवार देर रात एपीओ किया।
- एसीबी ने शुक्रवार देर रात को कलेक्टर और पटवारी हंसराज के सरकारी आवास और तहसील में तलाशी अभियान चलाया था।
- एसीबी की टीम ने कलेक्टर और पटवारी के मोबाइल फोन लेपटॉप व कंप्यूटर जब्त किए।

हिस्ट्री से भी बचा जा सके। लेकिन एसीबी को मालूम चल गया था कि क्लॉस अप कॉल से यह सारा खेल खेला जा रहा है। इसलिए एसीबी कॉल रिकॉर्डिंग कर रही थी। एसीबी ने कलेक्टर का एक और पटवारी के दो मोबाइल बरामद कर लिए हैं। अब दोनों के मोबाइल से कई राज खुलेंगे। इसके बाद एसीबी दोनों को नोटिस जारी कर मुख्यालय में पृथक्ताह के लिए फिर बुला सकती है।

गौरतलब है कि एसीबी ने दूदू कलेक्टर हनुमान मल ढाका और पटवारी हंसराज के यहां शुक्रवार देर रात करीब 12 बजे छापेमारी की। आरोप है कि भू-रूपांतरण के बदले 25 लाख रुपये घूस मांगी गई थी।

यह था मामला...

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो डीआईजी डॉ. रवि ने बताया कि एसीबी को पीड़ित ने शिकायत दी कि दूदू में उसकी फर्म के नाम से 204 बीघा जमीन है। इसके कुछ खसरे

तालाब-पाल क्षेत्र में होने के कारण कन्वर्जन करवाए जाने की शिकायत कलेक्टर के पास की गई थी। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के बदले दूदू कलेक्टर हनुमान मल ढाका और पटवारी हंसराज ने 25 लाख रुपये मांगे थे। पैसे के लिए परिवारी को परेशान किया जा रहा था। हालांकि पीड़ित ने पैसा नहीं होने का हवाला दिया तो 15 लाख रुपये देने के बदले कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन दिया गया था। एसीबी के सत्यापन के दौरान पीड़ित के साथ रिकॉर्ड भी भेजा गया था। जिसमें यह साबित हो गया कि दूदू कलेक्टर ढाका ने रिश्वत के करीब साढ़े सात लाख रुपये ढाक बंगला स्थित अपने आवास पर मांगा था। उन्होंने बताया कि पीसी एक्ट के तहत कलेक्टर और पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज कर छापेमारी की गई है। एसीबी ने कलेक्टर के ढाक बंगला स्थित आवास और तहसील कार्यालय दूदू में भी तलाशी ली।

नई शिक्षा नीति के आलोक में शिक्षण रुचिकर बने : राज्यपाल

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि फैकल्टी डेवलपमेंट के अंतर्गत शिक्षण की बोझिलता को दूर करने के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा में जो नवीनतम परिवर्तन हो रहे हैं, उनको सम्मिलित करते हुए नई शिक्षा नीति के आलोक में शिक्षण को प्रभावी किया जाए।

मिश्र शनिवार को महात्मा गांधी चिकित्सा विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय में नेशनल बोर्ड आफ एजामिनेशन इन मेडिकल साइंस द्वारा आयोजित फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संकाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों को पढ़ाना नहीं, उन्हें समय-संदर्भ से जोड़ते हुए शिक्षण को रुचिकर बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीखना और सीखाना सतत प्रक्रिया है। ऐसे कार्यक्रमों के जरिए यह प्रयास किया जाए कि शिक्षण विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर सके। उन्होंने कहा कि संकाय और प्रभावी शिक्षक ही विद्यार्थियों को भविष्य की नई दिशाएं प्रदान कर सकता है।



राज्यपाल कलराज मिश्र

■ नेशनल बोर्ड आफ एजामिनेशन इन मेडिकल साइंस द्वारा फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित

के रास्ते खुलते चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि ज्ञानार्जन के साथ-साथ शिक्षा जनोपयोगी तभी बनेगी, जब युगीन संदर्भों का समावेश करते हुए उसमें नवाचारों को अपनाया जाए।

इससे पहले राज्यपाल ने उपस्थित जनों को संबोधित कर शिक्षा का वाचन करवाया और मूल कर्तव्य पढ़कर सुनाए। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर संकाय विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इससे पहले नेशनल बोर्ड आफ एजामिनेशन इन मेडिकल साइंस अध्यक्ष डॉ. अभिजीत सेठ ने इस कार्यक्रम की उपदेयता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उपाध्यक्ष डॉ. सी. मल्लिकार्जुन ने संकाय विकास के लिए राज्यावधि का यह कार्यक्रमों के बारे में बताया। उपाध्यक्ष डॉ. शिवकांत मिश्र ने सभी का आभार जताया।

मिश्र ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य तकनीक का समावेश करते हुए चिकित्सा प्रशासन, शोधकर्ता की भूमिका आदि से जुड़े कौशल विकसित करने की ओर भी ध्यान दिया जाए। उन्होंने देश की नई शिक्षा नीति के आलोक में भी फैकल्टी डेवलपमेंट को अद्यतन किए जाने पर जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा वही सार्थक है जिसमें नएपन पर जोर हो। शैक्षिक नवाचारों को जितना अधिक हम अपनाएंगे उतना ही हर क्षेत्र में आगे बढ़ने

नेट-थियेट पर भजनों की स्वर गंगा बही अब तक 932 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अवैध सामग्री पकड़ी

आचार संहिता लागू होने के बाद से राजस्थान में रिकॉर्ड जब्ती



जयपुर, (का.सं.)। नेट-थियेट कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज भजन की स्वर गंगा कार्यक्रम में भजन कलाकार गौरव मधु ने अपनी मधुर वाणी से भजन की ऐसी सरिता प्रवाहित कि की लोग भक्ति रस में हिलोरे लेने लगे।

नेट-थियेट के राजेन्द्र शर्मा राजू ने बताया कि कलाकार गौरव ने अपने कार्यक्रम की शुरूआत सुरदास के भजन प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, चाहो तो पार करो सुनाकर भजन की शुरुआत की। इसके बाद मीराबाई का भजन दरस बिना दुखन लागी नैन और फिर गुरुनानक की वाणी काहे रे बन खोजने जाई, सख निवासी

सदा अलेपा तोही सिंगि समाई जैसे भजनों को बड़े ही सुरीले अंदाज में प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध किया और अंत में तुम मेरी लाखों लाज हरि, तुम जानत सब अंतर्धामी, करनी कछु ना करी, सुनाकर श्रोताओं को भजनों की स्वर्गगंगा में डुबकी लगाई।

इनके साथ सितार पर हरिहर शरण भट्ट और तबले पर विजय बाने ने अरसरदार संगतकर भजनों की इस सुरीली शाम को भक्तिमय बना दिया कार्यक्रम का संचालन सुप्रसिद्ध उद्घोषक आर डी अग्रवाल ने किया। संयोजक नवल डांगी तथा प्रकाश एवं कैमरा मनीज स्वामी एवं संगीत सागर गढवाल ने किया।

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान में लोकसभा आम चुनाव-2024 के मद्देनजर अलग-अलग एनफोर्समेंट एजेंसियों ने मार्च महीने की शुरुआत से अब तक नशीली दवाओं, शराब, कीमती धातुओं, मुफ्त बांटी जाने वाली वस्तुओं (फ्रीबीज) और अवैध नकद राशि के रूप में 932.41 करोड़ रुपये कीमत की जित्तियां की हैं। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद निर्वाचन विभाग के निदेश पर 16 मार्च से अब तक एजेंसियों द्वारा पकड़ी गई वस्तुओं की कीमत 834 करोड़ रुपये से ज्यादा है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से संदिग्ध वस्तुओं और धन के अवैध उपयोग पर अलग-अलग एजेंसियां कड़ी निगरानी कर रही हैं। इसी क्रम में प्रदेश भर में लगातार जत्तों की कार्रवाई की जा रही है। 1 मार्च से अब तक राजस्थान में 4 जिलों में 40-40 करोड़ रुपये से अधिक, 9 जिलों में 30-30 करोड़ रुपये और 13 जिलों में 20-20 करोड़

- 4 जिलों में 40 करोड़ रुपये से अधिक, 9 जिलों में 30 करोड़ और 13 जिलों में 20-20 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुएं, नकद राशि जव्त
- रुपये से अधिक मूल्य की संदिग्ध वस्तुएं और नकदी आदि जव्त की गई हैं।
- जिलवार जवती में जोधपुर में 47.03, चूरू में 43.08 गंगानगर में 41.92, भीलवाड़ा में 40.11, जयपुर में 39.18, पाली में 39.10, डूंगरपुर में 38.53, दौसा में 36.75, उदयपुर में 36.25, बाड़मेर में 36.21, बूड़नगढ़ में 34.74, बीकानेर में 32.97, चित्तौड़गढ़ में 32.44, अलवर में 29.78, टोंक में 29.50, प्रतापगढ़ में 29.43, नागौर में 27.96, हनुमानगढ़ : 25.32, बांसवाड़ा में 24.94, कोटा



सिटी पैलेस में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को हरि ओम जन सेवा समिति राजस्थान द्वारा जीव दया सम्मान पत्र भेंट किया गया। यह सम्मान लघु उद्योग भारती सरना के अध्यक्ष सुमेर सिंह शेखावत, हरि ओम जन सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष पंकज गोयल, सौर ऊर्जा वाले चिरंजी लाल कुमावत, पाषंद सुरेश जांगिड़ द्वारा प्रदान किया गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि समिति द्वारा किए जा रहे सेवा कार्य प्रशंसा के योग्य है। बेजुबान जानवरों व पक्षियों की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य और धर्म का कार्य है। समिति द्वारा पिछले 7 सालों से प्रतिदिन जरूरतमंद लोगों के लिए मां अन्नपूर्णा भंडारा भी चलाया जा रहा है।

परिवीक्षा काल में किए जे.ई.एन. के तबादले पर रोक

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल हाईकोर्ट ने परिवीक्षाकाल में चल रहे जेईएन के तबादला आदेश को क्रियान्वित पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार सहित पीएचईडी विभाग से जवाब देने को कहा है। अदालत ने पूछा है कि जब परिवीक्षा काल में तबादला नहीं किया जाता तो याचिकाकर्ता का तबादला क्यों किया गया।

जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपिठ ने यह आदेश शिवानी की याचिका पर दिए अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सामान्य तौर पर राज्य सरकार के हर विभाग के तबादला आदेश में यह नोट डाला जाता है कि यदि कोई कर्मचारी परिवीक्षा काल में है तो उस पर तबादला आदेश प्रभावी नहीं होगा। इसके बावजूद याचिकाकर्ता के

जब परिवीक्षा काल में तबादला नहीं किया जाता तो याचिकाकर्ता का तबादला क्यों किया गया : अदालत

तबादला आदेश में इस तरह का कोई भी नोट नहीं डाला गया है। याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति दिसंबर 2022 में दो साल के परिवीक्षा काल पर हीडॉन में हुई थी, लेकिन दो साल का प्रोबेशन समय पूरा हुए बिना ही फरवरी 2024 में उसका तबादला गंगापुर कर दिया गया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि प्रोबेशन पीरियड में किसी भी कर्मचारी का ट्रांसफर करने का नियम नहीं है।

गैंगस्टर रोहित गोदारा ने भाजपा नेता से मांगी 5 करोड़ की रंगदारी

फोनकर्ता ने 7 दिन में रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी

कार्यालय संवाददाता- जयपुर। गैंगस्टर रोहित गोदारा द्वारा भाजपा नेता से 5 करोड़ रु. की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। फोनकर्ता ने वॉट्सऐप कॉल कर रोहित गोदारा बताते हुए 7 दिन में पांच करोड़ रुपये देने की डिमांड रखी। उसने धमकी दी है कि अगर 7 दिन में पैसे नहीं दिए तो जान से मार देगा। गोदारा ने कहा कि पुलिस को भी रिकॉर्डिंग सुना देना, वो भी तेरी सुरक्षा नहीं कर पाएगी। इस पर पीडित ने शिवदासपुर थाने में मामला दर्ज करवाया।

पुलिस ने बताया कि शिवदासपुर निवासी 36 वर्षीय भाजपा नेता ने मामला दर्ज करवाया कि भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी होने के साथ उनका बिजनेस भी है। गुल्नार को वह ऑफिस में बैठकर काम कर रहे थे। इस दौरान दोपहर उसके मोबाइल पर इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से वॉट्सऐप कॉल आया। कॉल करने वाले ने धमकते हुए गोदारा का नाम लॉरेंस गैंग का गैंगस्टर रोहित गोदारा बताया। बदमाश ने धमकी देकर कहा कि मैं जानता हूँ कि तु कितना बड़ा बिजनेसमैन है। अगर 7 दिन में 5 करोड़ रुपए नहीं दिए तो तु चाहे कहीं भी छुप जाना, तुझे हमसे कोई भी नहीं बचा सकता। बदमाश ने कहा कि पुलिस को भी यह रिकॉर्डिंग सुना देना। पुलिस भी तेरी सुरक्षा नहीं कर पाएगी। तेरे पास 7 दिन का समय है। पुलिस इंटरनेशनल मोबाइल नंबर के आधार पर धमकी देने वाले के बारे में पता लगाने के प्रयास कर रही है।

ज्ञात रहे कि कुछ दिन पहले गैंगस्टर रोहित गोदारा ने जयपुर के बिजनेसमैन से 37 लाख रुपए मांगे थे। बिजनेसमैन को वॉट्सऐप कॉल कर जान से मारने की धमकी देकर रुपयों की डिमांड की थी। इसके साथ ही अजमेर जेल में बंद गोगामेड़ी के हत्यारे ने भी बिजनेसमैन को कॉल कर धमकाया। पीडित बिजनेसमैन ने 14 अप्रैल को वैशाली नगर थाने में मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार किया था। बिजनेसमैन को सबसे पहले 29 फरवरी को वॉट्सऐप नंबर पर इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से कॉल आया। 11 मार्च को दोबारा इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से व्हाट्सऐप कॉल आया। इसके बाद 16 मार्च और 6 अप्रैल को धमकी देकर रुपयों की मांग की गई। 12 अप्रैल को दलीप सिंह अपने साथी के साथ ऑफिस आ गया और धमकी देकर गया।

ए.आई. जरूरी, लेकिन फैसले दिमाग से ही नहीं दिल से भी होते हैं : जस्टिस मिश्रा

जयपुर, (का.सं.)। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा ने कहा कि वर्तमान परिपेक्ष्य में न्याय व्यवस्था में वैकल्पिक वाद निस्तारण व्यवस्था और तकनीक जरूरी है। तकनीक के चलते लोगों को भौगोलिक बाधाओं के बिना कम लागत में न्याय मिल रहा है। जस्टिस मिश्रा राजस्थान हाईकोर्ट की प्लेटिनम जुबली को लेकर आयोजित समारोह की कड़ी में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित एडीआर में तकनीक-भविष्य में नवाचार और चुनौतियां विषय पर आयोजित समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज न्याय व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई.) जरूरी है, लेकिन सिर्फ एआई से न्याय नहीं मिल सकता, क्योंकि कई बार फैसले दिमाग से ही नहीं दिल से भी दिए जाते हैं।

जस्टिस मिश्रा ने कहा कि एआई तकनीक न्याय दिलाने में सहायक हो सकती है, लेकिन यह मानव मस्तिष्क का स्थान नहीं ले सकती। मशीन सिर्फ अपनी फाईंडिंग दे सकती है, लेकिन हर फाईंडिंग जजमेंट नहीं होता। एक अमीर व्यक्ति की ओर से की गई चोरी और एक गरीब व्यक्ति की ओर से जीवन जीने के लिए की गई चोरी को एआई एक तरह से ही देखेगा। यदि तकनीक का उचित उपयोग नहीं किया



सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा (बायें से तीसरे) ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित एडीआर में तकनीक-भविष्य में नवाचार और चुनौतियां विषय पर आयोजित समारोह का शुभारंभ किया। इस मौके पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम.एम.श्रीवास्तव (बायें से चौथे), सोलिसीटर जनरल तुषार मेहता (बायें से पहले), राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा (बायें से पांचवें) और एडवोकेट जनरल राजेन्द्र प्रसाद (दायें) ने भी संबोधित किया।

गया तो यह अर्थ से फर्श पर भी ला सकती है। दूसरी ओर इसमें साइबर सुरक्षा और डेटा प्रोटेक्शन का खतरा भी रहता है, लेकिन अब ई-अनपद नहीं रहा जा सकता। इसके अलावा वैकल्पिक वाद निस्तारण में वकील की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

वहीं हाईकोर्ट के सीजे एमएम श्रीवास्तव ने कहा कि आज निचली अदालतों में करीब चार करोड़ और हाईकोर्ट में 65 लाख मामले लंबित हैं। बिना गुणवत्ता कम किए इनका जल्दी निस्तारण करना एक चुनौती है। अब न्यायिक प्रक्रिया में तकनीक का उपयोग कर मुकदमों का निस्तारण किया जा रहा है और ई-कोर्ट इनका उदाहरण है। हमने कोविड में तकनीक की महत्ता देखी है।

■ वैकल्पिक वाद निस्तारण व्यवस्था न्याय प्रणाली में गेम चेंजर की भूमिका निभाएगी : सी.जे.

अधिकतम सहायता ले सकते हैं, लेकिन साथ ही मानव दृष्टिकोण भी रखना पड़ेगा।

इस मौके पर जस्टिस पंकज भंडारी ने कहा कि एडीआर मुकदमों के भार को नीचे दबी न्यायपालिका के भार को कम करते हैं। ऑनलाइन वाद निस्तारण से कम लागत में न्याय मिल रहा है। ई-कोर्ट से भी लोगों को न्याय मिल रहा है। हालांकि इसमें क्षेत्राधिकार जैसी कुछ समस्याएं भी रहती हैं। वहीं इससे जुड़े कुछ कानूनों में भी संशोधन करने की जरूरत है।

सॉलिडिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एआई की सहायता तो ली जा सकती है, लेकिन इसके साथ ही मानव मस्तिष्क का उपयोग भी जरूरी है। एआई सेवक हो सकती है, मालिक नहीं। सेमिनार को गेस्ट ऑफ ऑनर जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र भाटी, राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा, एडवोकेट जनरल राजेन्द्र प्रसाद ने भी संबोधित किया।

मुख्यालय की सीआईडी शाखा में तैनात थे। पिछले दो दिनों से उनकी तबीयत खराब थी और उनकी पत्नी और बच्चे घर में शादी होने के कारण बीकानेर गए हुए थे। शुक्रवार को घर पर खाना बनाने के लिए नौकरानी आई। डोर बेल बजाने के बाद भी एसआई धर्मंदर यादव ने गेट नहीं खोला। कुछ देर रुकने के बाद नौकरानी दूसरी जगह अपने काम पर चली गई।

घर में पड़ा मिला सी.आई.डी. सब इंस्पेक्टर का शव

जयपुर (कासं)। पुलिस मुख्यालय की सीआईडी शाखा में तैनात सब इंस्पेक्टर का शव कालवाड़ स्थित अन्धे खुद के घर में पड़ा मिला। जानकारी में सामने आया है कि मकान पंडा राव था और नौकरानी ने खिड़की से झांक कर देखा तो एसआई बाधरम में नग्न हालत में गिरि दिखाई दिए, इस पर उसने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की मदद से सबूत जुटाए। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के लिए शव को कांक्टिया अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। पुलिस ने बताया कि राजस्थान पुलिस में एसआई धर्मंदर यादव (50) की उनके ही घर में लाश मिली है। वह कालवाड़ इलाके स्थित सुराशां सिटी में पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। एसआई धर्मंदर यादव पुलिस,